छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक.....11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :–

(1) योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना" होगा।

1.2 परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत कर्मकारों की ऐसी समस्त पुत्र/पुत्री जिन्होंने निम्न लिखित परीक्षाओं मे से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यकम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।

1.3 प्रत्येक कक्षा व पाठ्यकम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी–

क्र0	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	750	1,000
3.	9 वीं से 12 वीं	1,000	1,500

4.	स्नातक कक्षा जैसे बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बी0कॉम / डिप्लोमा आदि	1,500	2,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम0ए0 / एम0एस0सी0 / एम0कॉम0 / स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	2,500	3,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यकम में अध्ययनरत होने पर	3,000	4,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी0एच0डी0 या शोध कार्य करने पर	4,000	5,000

1.4 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिकों के अध्ययनरत दो पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

2.2 यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यकम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यकम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

2.3 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नही उठा सकता है।

पृष्ठांकन क्र. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक ...11/3/15

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी............... ....(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(7)

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजनाः–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 4,200/– एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह में) में रूपये 2,800/– प्रसूति लाभ एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रूपये 3,000/– की सहायता पुरूष कर्मकार को बच्चे के जन्म के पश्चात् देय होगी।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

1.4 प्रसूति सहायता योजना अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी।

1.5 प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक होने पर उत्तराधिकारियों को बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा।

2 योजना हेतु पात्रता :-

2.1 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक चाहे पुरूष हो या स्त्री, पति या पत्नि मे से कोई भी ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा।

2.2 किन्तु सार्वजनिक एवं भाासकीय संस्थाओं में नियमित रूप से कार्य कर रहे ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिकों अथवा उनकी पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ मण्डल द्वारा नहीं दिया जावेगा।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :-**

3.1 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जोवगा।

3.2 आवेदिका/आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

3.3 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

4 **भुगतान की प्रकिया-**

4.1 संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारीी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

5 **विसंगति का निराकरण-**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(याकुब खस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य भासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत रूपये 15,000/–प्रति विवाह सहायता देय होगी।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

2 **योजना हेतु पात्रता :–**

2.1 यह योजना महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक के स्वयं के विवाह अथवा ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी।

2.2 पंजीबद्ध महिला कर्मकार के स्वयं के विवाह अथवा एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध कर्मकार की दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–**

आवेदन करना होगा।

3.2 आवेदन पत्र मे हस्ताक्षर आवेदिका महिला कर्मकार के स्वयं अथवा ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक के स्वयं का होना चाहिए।

3.3 महिला कर्मकार स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन कमांक अंकित करना होगा।

3.4 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4 भुगतान की प्रकिया–

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में अथवा हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

5 विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(याकुब खैस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, [illegible]
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

(13)

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना" होगा।

1.2 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 **योजना हेतु पात्रता :–**

2.1 प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकार को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

2.3 योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष वाले हितग्राही पात्र होंगे।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–**

3.1 आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

3.2 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आव यक है।

3.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4 भुगतान की प्रकिया

4.1 संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

4.2 हमाल हेतु जूता, बोरा उठाने का हुक एवं महिला हमालों के लिए सूपा और टोकरी हेतु रूपये 500/- प्रति हितग्राही देय होगा।

5 विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर दिनांक 11.03.15

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी........................ (छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
10. उप संचालक भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां

10/3/15
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

(15)

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना" होगा।

1.2 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 यह योजना महिला कामगार जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो को प्रदाय किया जावेगा।

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

2.3 योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष वाले हितग्राही पात्र होंगे।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

3.1 आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

3.2 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आव यक है।

3.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4.1 संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

4.2 सायकल हेतु छतीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित दर एवं छतरी, चप्पल/जूता हेतु रूपये 500/- प्रति हितग्राही देय होगा।

5 **विसंगति का निराकरण–**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी................ ....(छ0ग0)

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक हमाल तथा घरेलू कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना"।

1.2 योजना के अंतर्गत घरेलू महिला कामगार को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला कर्मकारों को प्रशिक्षण देय होगा।

1.3 घरेलू महिला कामगार के परिवार के सदस्यों तथा ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक के परिवार के सदस्यों को समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग (CSSDA) द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जावेगा।

1.4 योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

1.5 परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री (दो संतान तक)

1.6 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 **योजना का स्वरूप :–**

2.1 पंजीकृत घरेलू महिला कामगार के कौशल उन्नयन हेतु निम्नांकित प्रशिक्षण देय होगा–

(i) ब्यूटीशियन (BEAUTICION)

(ii) न्यूट्रीशियन (NUTRICION)

(iii) डायटीशियन (DIETITION)

(iv) कुकिंग (COOKING)

(v) हास्पीटलिटी (HOSPITILITY)

(vi) हाउस होल्ड (बड़ी,पापड़, आचार आदि बनाना) (HOUSEHOLD)

(vii) नर्सिंग (NURSING)

(viii) टेलरिंग (TAILORING)

2.2 ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक तथा घरेलू महिला कामगार के परिवार के सदस्यों को छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट ऑथारिटी द्वारा निर्धारित ट्रेड में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–**

3.1 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु घरेलू महिला कामगार, ठेका श्रमिक, हमाल का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

3.2 यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

3.3 योजना हेतु आयु सीमा 18 से ऊपर होनी चाहिए।

4 **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

4.1 आवेदिका/आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

4.2 आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

4.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

5 **योजना हेतु व्यय–**

प्रशिक्षण के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा वहन किया जावेगा।

6 **विसंगति का निराकरण–**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..........(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..(छ0ग0)
10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/15
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(60)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 15/10/2015

क्रमांक **एफ 10–17/2015/16** :– छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा संचालित **ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना** के अंतर्गत पंजीकृत महिला हितग्राहियों को रूपये 7000/– तथा पुरूष श्रमिक को रूपये 3000/– पितृत्व लाभ प्रदाय किया जाता था। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 26.08.2015 में लिये गये निर्णय एवं मण्डल के अनुमोदन उपरांत योजना में आंशिक संशोधन कर पुरूष श्रमिक के पितृत्व लाभ को स्थगित करते हुये ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता महिला श्रमिक को कुल रूपये 10,000/– प्रसूति सहायता प्रदाय किया जावेगा, जो कि आवेदिका के गर्भधारण के तीसरे माह में रूपये 5000/– एवं आठवे माह में रूपये 5000/– मण्डल द्वारा देय होगा।

15/10/15
(याकुब खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 10–17/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 15/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान0मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग नया रायपुर।
3. सचिव/सह श्रमायुक्त छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. कलेक्टर, जिला..(छ.ग.)
5. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी..(छ0ग0)
7. गार्ड फाईल।

15/10/15
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना" होगा।

1.2 पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2,000/– तक चिकित्सा सहायता दवाई की खरीदी हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी।

1.3 उक्त भुगतान शासकीय चिकित्सालय/औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित देयक पर (ऐसे देयक उन्ही दवाओं के लिए होंगे जो शासकीय चिकित्सालय/औषधालय में उपलब्ध नही हो) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा अधिकृत समस्त चिकित्सालयों के देयको पर ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिकों के बाह्य रोगी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भुगतान किया जावेगा।

1.4 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 18 से 60 वर्ष के ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

2.2 [illegible]

प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

3.1 ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता हेतु स्वतः द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

3.2 आवेदन पत्र की जांच करने पर सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुशंसा कर अनुग्रह राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा।

4 विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

10/3/15
(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)

[illegible] रायपुर (छ0ग0)

8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी............... ....(छ0ग0)

9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)

10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग